रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032021-225707
CG-DL-E-08032021-225707

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 8, 2021/फाल्गुन 17, 1942
No. 115] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 8, 2021/PHALGUNA 17, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2021

सा.का.नि. 156(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षानुसार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 757(अ) तारीख 11 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 11 दिसंबर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 115 में,-

(i) उपनियम (18) के,-

(अ) खंड (i) में, -

(1) 'सारणी 2' में, 'फ्लेक्स ईंधन (1)' से संबंधित स्तंभ में, "एथेनॉल (E85)/(E100)", कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "एथेनॉल (E20)/(E85)/(E100)", कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

(2) 'सारणी 2' के पश्चात् दिए गए 'टिप्पण' में,

(क) क्रम संख्याक (4) में, मद (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित मदों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(झ) उपाबंध IV-SA में यथाविनिर्दिष्ट संदर्भ एथेनॉल ईंधन (E100) होगा ;

(ञ) संदर्भ एथेनॉल ईंधन (E20) आईएस17021:2018 के अनुसार होगा" ;

(ख) क्रम संख्याक (9) में, "मद (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित मदों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-"

"(viii) वाणिज्यिक एथेनॉल ईंधन (E20) आईएस 17021:2018 के अनुसार विनिर्दिष्ट होगा" ;

(ग) क्रम संख्याक (20) के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(21) E20 या E85 या E100 के एथेनॉल ब्लेंड के स्तर के यानों की अनुकूलता यान विनिर्माता द्वारा परिभाषित की जाएगी और उसे यानों पर एक स्पष्ट रूप से दृष्टव्य स्टिकर के रूप में लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा" ;

(आ) खंड (ii) में, क्रम संख्याक (17) के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(18) ED95 के एथेनॉल ब्लेंड के स्तर के यानों की अनुकूलता यान विनिर्माता द्वारा परिभाषित की जाएगी और उसे यानों पर एक स्पष्ट रूप से दृष्टव्य स्टिकर के रूप में लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा" ;

(ii) उप-नियम (19) के खंड (i) में,-

(1) 'सारणी 2' में, बाई-ईंधन / फ्लेक्स ईंधन से संबंधित स्तंभ में, "एथेनॉल (E85)/(E100)", कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "एथेनॉल (E20)/ (E85)/(E100)", कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

(2) 'सारणी 2' के, पश्चात् दिए गए 'टिप्पण' में,

(क) क्रम संख्याक (4) में, "मद (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित मदों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(i) संदर्भ एथेनॉल ईंधन (E20) आईएस 17021 : 2018 के अनुसार होगा" ;

(ञ) "हाइड्रोजन संपीडित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) के लिए संदर्भ, आईएस 17314 : 2019 के अनुसार होगा" ;

(ख) क्रम संख्याक (5) में "मद (च) के पश्चात्, निम्नलिखित मदों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(छ) वाणिज्यिक एथेनॉल ईंधन (E20) आईएस 17021 : 2018 के अनुसार होगा" ;

(ज) वाणिज्यिक हाइड्रोजन समृद्ध संपीडित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) आईएस 17314 : 2019 के अनुसार विनिर्दिष्ट होगा" ;

(ग) क्रम संख्याक (13) के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

IndiaCode

"(14) सीएनजी/बायो-सीएनजी/एचसीएनजी यान एआइएस 24 और एआइएस 28 (पुनरीक्षण 1) के अनुसार यथा-अनुप्रयोज्य सभी सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, ;

"(15) E20 या E85 या E100 के एथेनॉल ब्लेंड के स्तर के यानों की अनुकूलता यान विनिर्माता द्वारा परिभाषित की जाएगी और उसे यानों पर एक स्पष्ट रूप से दृष्टव्य स्टिकर के रूप में लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा", ;

(iii) उप-नियम (20) में, -

(1) 'सारणी 2' में, बाई ईंधन/फ्लेक्स ईंधन से संबंधित स्तंभ में "एथेनॉल (E85)", कोष्ठकों, अक्षरों, और अंकों के स्थान पर, "एथेनॉल (E20)/(E85)\(E100)", कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

(2) 'सारणी 2' के पश्चात् दिए गए 'टिप्पणों' में, -

(क) क्रम संख्याक (4) में, "मद (च) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(छ) संदर्भ एथेनॉल ईंधन (E100) उपाबंध IV-SA में यथाविनिर्दिष्ट होगा" ;

(ज) संदर्भ इथेनॉल ईंधन (E20) आईएस 17021 : 2018 के अनुसार होगा" ;

(ख) क्रम संख्याक (5) में, मद (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(viii) वाणिज्यिक एथेनॉल ईंधन (E20) आईएस 17021 : 2018 के अनुसार विनिर्दिष्ट होगा" ;

(ग) उपखंड (14) के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(15) E20 या E85 या E100 के एथेनॉल ब्लेंड के स्तर के यानों की अनुकूलता यान विनिर्माता द्वारा परिभाषित की जाएगी और उसे यानों पर एक स्पष्ट रूप से दृष्टव्य स्टिकर के रूप में लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा",

(iv) उप-नियम (22) में, -

(1) 'सारणी 2' में, बाई ईंधन/फ्लेक्स ईंधन से संबंधित स्तंभ में "एथेनॉल (E85)/ (E100)", कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "एथेनॉल (E20)/ (E85)\(E100)", कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे, ;

(2) 'सारणी 2' के पश्चात् दिए गए 'टिप्पणों' में,

(क) क्रम में 7 में, मद (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

" (ज) संदर्भ एथेनॉल ईंधन (E100) उपाबंध IV-SA में यथाविनिर्दिष्ट होगा",

(झ) संदर्भ एथेनॉल ईंधन "(E20) आईएस 17021 : 2018 के अनुसार होगा,

(ञ) हायड्रोजन संपीडित प्राकृतिक गैस (एसीएनजी) के लिए संदर्भ आईएस 17021 : 2019 के अनुसार होगा",

(ख) क्रम संख्याक (8) में, "मद (च) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(छ) वाणिज्यिक एथेनॉल ईंधन (E20) आईएस 17021 : 2018 के अनुसार विनिर्दिष्ट होगा",

(ज) वाणिज्यिक हायड्रोजन समृद्ध संपीडित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) आईएस 17314 : 2019 के अनुसार विनिर्दिष्ट होगी",

(ग) क्रम संख्याक (13) के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(14) सीएनजी/बायो-सीएनजी/एचसीएनजी यान एआईएस 24 और एआइएस 28 (पुनरीक्षण1) के अनुसार यथा-अनुप्रयोज्य सभी सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, ;

IndiaCode

(15) E20 या E85 या E100 के एथेनॉल ब्लेंड के स्तर के यानों की अनुकूलता यान विनिर्माता द्वारा परिभाषित की जाएगी और उसे यानों पर एक स्पष्ट रूप से दृष्टव्य स्टिकर के रूप में लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा",

3. उक्त नियमों में, उपाबंध IV-S [नियम 115 (ङ) देखें] ", "उपाबंध IV-SA [नियम 115 देखें]", के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा ।

[सं.आरटी-11036/133/2020-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 148(अ), तारीख. 2 मार्च, 2021 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2021

G.S.R. 156(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R 757(E), dated the 11th December, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 11th December, 2020;

And, whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement-**(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred to as the said rules), in rule 115,-

(i) in sub-rule (18),-

(A) in clause (i),-

(1) in 'Table 2', in column relating to 'Flex Fuel (1)', for the brackets, letters and figures "Ethanol (E85)/(E100)", the brackets, letters and figures "Ethanol (E20)/(E85)/(E100)", shall be substituted;

(2) in the 'Notes' given after 'Table 2',-

(a) in serial number (4), after 'item(h)', the following items shall be inserted, namely:-

"(i) The reference ethanol fuel (E100) shall be as specified in Annexure IV-SA.

(j) The reference ethanol fuel (E20) shall be as per IS 17021: 2018.";

(b) in serial number (9), after 'item (vii)', the following items shall be inserted, namely:-

"(viii) Specification for commercial ethanol fuel (E20) shall be as per IS 17021: 2018.";

(c) after serial number (20), the following serial shall be inserted, namely:-

"(21) The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of E20 or E85 or E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker.";

(B) in clause (ii), after serial number (17), the following serial shall be inserted, namely:-

"(18) The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of ED95 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker.";

(ii) in sub-rule (19), in clause (i), -

(1) in 'Table 2', in column relating to Bi-fuel/Flex-fuel, for the brackets, letters and figures "Ethanol (E85)/(E100)", the brackets, letters and figures "Ethanol (E20)/(E85)/(E100)", shall be substituted;

(2) in the 'Notes' given after 'Table 2',-

(a) in serial number (4), after item(h), the following items shall be inserted, namely:-

"(i) The reference ethanol fuel (E20) shall be as per IS 17021: 2018.

(j) The reference for Hydrogen Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314: 2019.";

(b) in serial number (5), after 'item (f)', the following items shall be inserted, namely:-

"(g) Specification for commercial ethanol fuel (E20) shall be as per IS 17021: 2018.

(h) Specification for commercial Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314: 2019.";

(c) after serial number (13), the following serials shall be inserted, namely.-

"(14) The CNG/Bio-CNG/HCNG vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 24 and AIS 28 (Revision 1), as applicable.

(15) The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of E20 or E85 or E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker.";

(iii) in sub rule (20),-

(1) in 'Table 2', in column relating to Bi-fuel/Flex-fuel, for the brackets, letters and figures "Ethanol (E85)", the brackets, letters and figures "Ethanol (E20)/(E85)/(E100)", shall be substituted;

(2) in the 'Notes' given after 'Table 2',-

(a) in serial number '4', after 'item(f)', the following items shall be inserted, namely:-

"(g) The reference ethanol fuel (E100) shall be as specified in Annexure IV-SA.

(h) The reference ethanol fuel (E20) shall be as per IS 17021: 2018.";

(b) in serial number '5', after 'item (vii)', the following items shall be inserted, namely:-

"(viii) Specification for commercial ethanol fuel (E20) shall be as per IS 17021: 2018.";

(c) after serial number '14', the following serial shall be inserted, namely.-

"15. The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of E20 or E85 or E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker.";

(iv) in sub rule(22), -

(1) in 'Table 2', in column relating to Bi-fuel/Flex-fuel, for the brackets, letters and figures "Ethanol (E85)/(E100)", the brackets, letters and figures "Ethanol (E20)/(E85)/(E100)", shall be substituted;

(2) in the 'Notes' given after 'Table 2',-

(a) in serial number '7', after 'item(g)', the following items shall be inserted, namely:-

"h. The reference ethanol fuel (E100) shall be as specified in Annexure IV-SA.

i. The reference ethanol fuel (E20) shall be as per IS 17021: 2018.

j. The reference for Hydrogen Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314: 2019.";

(b) in serial number (8), after 'item (f)', the following items shall be inserted, namely:-

"(g) Specification for commercial ethanol fuel (E20) shall be as per IS 17021: 2018.

(h) Specification for commercial Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) shall be as per IS 17314: 2019.";

IndiaCode

(c) after serial number '13', the following serials shall be inserted, namely:-

"14. The CNG/Bio-CNG/HCNG vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 24 and AIS 28 (Revision 1), as applicable.

15. The compatibility of vehicle to level of ethanol blend of E20 or E85 or E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by putting a clearly visible sticker.";

3. In the said rules, "ANNEXURE IV-S [Refer Rule 115(E)]" shall be renumbered as "ANNEXURE IV-SA [Refer Rule 115]".

[No. RT-11036/133/2020-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* Notification number G.S.R. 148(E), dated the 2nd March, 2021.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.08 18:07:27 +05'30'